PHOENIX INTERNATIONAL LIMITED

CIN: - L74899DL1987PLC030092
Regd. Office: 3rd Floor, Gopala Tower, 25 Rajendra Place, New Delhi-110008
Tel :(91-11) 2574 7696, 2575 1934/35/36 | Fax: (91-11) 2575 1937/38
Website: www.phoenixindia.com; | E-Mail: compliance@phoenixindia.com

38th ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") OF PHOENIX INTERNATIONAL LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS

1. Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting ("AGM") of Phoenix International Limited (the "Company") is scheduled to be held on Monday, the 29th September, 2025 at 01:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India ("Circulars") and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act"), Secretarial Standard-2 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), without the physical presence of the members to transact the Ordinary and Special Business as set out in the AGM Notice.
In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2024-2025 has been sent through e-mail to all the members whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depositories/ Depository Participants and MAS Services Limited (the "Registrar"). The emailing of all Notices along with the Annual Report has been completed on Friday, 05th September, 2025.
2. In terms of Section 108 of the Act, read with the Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is pleased to provide its members with the remote e-voting facility to cast their vote electronically on the Resolution(s) mentioned in the AGM notice using electronic voting platform provided by the Registrar. The Board has appointed Anant & Co, Chartered Accountants as scrutinizer for scrutinizing the e-voting process in a fair and transparent manner. The members may note the following:
a. Members holding shares as on the cut-off date i.e. 22nd September, 2025 may cast their vote electronically on business as set out in AGM Notice through such remote e-voting.
b. Any person, who acquires shares and becomes a member of the Company after sending the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. 22nd September, 2025, may obtain the login ID and password by sending a request to Registrar. However, if you are already registered with the Registrar for remote e-voting then you can use your existing User ID and password for casting your vote.
c. The remote e-voting period begins at 09:00 A.M.(IST), on Friday, the 26th September, 2025 and will end at 05:00 P.M.(IST) on Sunday, the 28th September, 2025. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time and the remote e-voting module shall be disabled by the Registrar for voting thereafter.
d. Any person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owner maintained by the Depository as on cut-off date, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting, participating in AGM through VC/OVAM and e-voting at the AGM.
e. Members who have already cast their vote through remote e-voting, prior to the AGM, will be eligible to attend/ participate in the AGM. However, they will not be eligible to vote again during the meeting.
f. Members may note that the Notice of AGM and the Annual Report for Financial Year 2024-2025 are also available on the Company's website www.phoenixindia.com (click of Investor Relation then on Annual Report) as well as on the website of BSE Limited at www.bseindia.com.
g. In case members have any queries regarding e-voting/ attending the meeting through VC. Please contact Mr. Sharwan Mangla General Manager, T-34, 2nd Floor, Block T Okhla Industrial Estate Phase 2 Road, New Delhi- 110020, e-mail; Info@masserv.com, contact no +91 11 2638 7281/82/83.

Members are requested to carefully read all the Notes as set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM and manner of casting vote through Remote e-voting or e-voting facility during the AGM.

By order of the Board of Directors
For Phoenix International Limited
Sd/-
Narender Kumar Makkar
Company Secretary & Compliance Officer

Date: 06rd September, 2025
Place: New Delhi

"प्रपत्र सं. आईएनसी–26"
(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और धारा (ए) के मामले में कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5)
और
के मामले में
एल्योर टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
(CIN : U72300DL2007PTC161879)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : 1/2068 जी/एफ ईस्ट राम नगर, शाहदरा, ईस्ट दिल्ली, दिल्ली–110032, इंडिया में स्थित है
...आवेदक

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "वेस्ट बंगाल राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख शनिवार 16 अगस्त, 2025 को सुबह 11:00 बजे आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

1/2068 जी/एफ ईस्ट राम नगर, शाहदरा, ईस्ट दिल्ली, दिल्ली–110032,

कृते आवेदक की ओर से
कृते एल्योर टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता/–
आयुषी राजगढ़िया
निदेशक
डीआईएन : 01927416
पता : सिद्धार्थ बिल्डिंग, फ्लैट–10सी, 14/2, बर्दवान रोड, अलीपुर, कोलकाता–700027

तिथि : 07.09.2025
स्थान : नई दिल्ली

राठी इंडस्ट्रीज लिमिटेड,

रजि. कार्यालय: ए-24/6, मोहन को-ऑपरेटिव इंडि. इस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044
निगम कार्यालय: प्लॉट नंबर 1319, जीटी रोड छपरौला, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, भारत- 201009
सीआईएन: L74899DL1991PLC046570
फ़ोन नंबर +91 9311904448, ई-मेल आईडी: rathiindustriesltd@rediffmail.com, वेबसाइट: www.rilstelmax.com

33वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 33वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को अपराह्न 3.00 बजे ए-24/6, मोहन को-ऑपरेटिव औद्योगिक एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044 में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पर व्यक्तिगत रूप से भेजी गई सूचना में उल्लिखित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020, 14/2020, 17/2020 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किए गए अन्य सभी लागू कानूनों और परिपत्रों (सामूहिक रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में, कंपनी ने शनिवार, 06 सितंबर, 2025 को कंपनी के उन सदस्यों को 33वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण पूरा कर लिया है, जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के साथ पंजीकृत हैं।

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर 23.09.2025 से 30.09.2025 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेगा। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और समय-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 44 के प्रावधानों के अनुसार, सदस्यों को 33वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है।

बोर्ड के आदेशानुसार,
राठी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षरकर्ता/
विकास राठी
(प्रबंध निदेशक)

स्थान: छपरौला
दिनांक: 06.09.2025

बीजे ड्यूप्लेक्स बोर्ड्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: एफ. नं.-54, नीलम न्यू राजधानी एन्क्लेव, निकट एमसीडी पार्क न्यू दिल्ली – 110092
दूरभाष: 011-42141100, 011-36251171, cs@prabhatamgroup.com
CIN: L21090DL1995PLC066281

31वीं वार्षिक आम बैठक और ई-वोटिंग सूचना की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बीजे ड्यूप्लेक्स बोर्ड्स लिमिटेड ("कंपनी") की 31वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को अपराह्न 2:00 बजे (IST) गालिब इंस्टीट्यूट, प्लॉट नंबर 1, ऐवान–ए–गालिब मार्ग (माता सुंदरी लेन), नई दिल्ली – 110002 में वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित कार्यों को निपटाने के लिए आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 ("लिस्टिंग विनियम") के अनुपालन में, कंपनी ने उन शेयरधारकों को 31वीं एजीएम की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष (FY) 2024–25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां भेज दी हैं, जिनके ईमेल पते कंपनी/इसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यानी बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (RTA)/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DPs)/डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत हैं।

इसके अलावा, लिस्टिंग विनियमों के विनियम 36(1)(B) के प्रावधानों के अनुसार, FY 2024–25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट का पूरा विवरण एक्सेस करने के लिए एक वेब–लिंक, जिसमें सटीक पथ शामिल है, उन शेयरधारकों को भेजा गया था जिनके ईमेल पते कंपनी/आरटीए/डीपी/डिपॉजिटरीज के साथ पंजीकृत नहीं हैं।

एजीएम की सूचना और एफवाई 2024–25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है: (A) कंपनी: www.bjduplexboards.com (B) बीएसई लिमिटेड: www.bseindia.com और (C) नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल/ई–वोटिंग सेवा प्रदाता') www.evoting.nsdl.com

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44 (समय–समय पर लागू होने वाले किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनर्मूल्यांकन सहित), सेबी सर्कुलर संख्या SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (एसएस–2) द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक के साथ पढ़े गए, कंपनी अपने सदस्यों को एनएसडीएल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (ई–वोटिंग) सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है।

सदस्य एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपनी वोटिंग रिमोट ई–वोटिंग सुविधा या एजीएम के दौरान मतपत्र के माध्यम से कर सकते हैं।

रिमोट ई–वोटिंग अवधि और कट–ऑफ तिथि के संबंध में विवरण इस प्रकार हैं:

रिमोट ई–वोटिंग/एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के लिए पात्र सदस्यों का निर्धारण करने के लिए कट–ऑफ तिथि,	मंगलवार, 23 सितंबर, 2025
रिमोट ई–वोटिंग अवधि की शुरुआत,शनिवार	27 सितंबर, 2025 सुबह 09:00 बजे
रिमोट ई–वोटिंग अवधि का अंत,	सोमवार, 29 सितंबर, 2025 शाम 05:00 बजे

सदस्य (भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले) जिनके नाम मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 ('कट–ऑफ तिथि') को डिपॉजिटरीज द्वारा रखे गए सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी मालिकों की सूची में दिखाई देते हैं, वे एजीएम में भाग लेने और रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम के दौरान प्रदान की गई मतपत्र सुविधा के माध्यम से उपरोक्त समय–सीमा के अनुसार वोट देने के हकदार होंगे इसके बाद रिमोट ई–वोटिंग सुविधा अक्षम कर दी जाएगी, और उक्त तिथि और समय के बाद मतदान की अनुमति नहीं होगी।एक बार किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने या दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट–ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनकी शेयरधारिता के अनुपात में होंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर पहले ही अपना वोट डाल दिया है, वे भी एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे, लेकिन वे दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी द्वारा ई–मेल के माध्यम से 31वीं एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखता है, रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के उद्देश्य से evoting@nsdl-com पर अनुरोध भेजकर उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि वह रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से ही पंजीकृत है, तो वह वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के दौरान मतपत्र के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया, जिसमें भौतिक/डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य और जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, वे रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से कैसे वोट डाल सकते हैं, एजीएम की सूचना में प्रदान की गई है।

ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न और/या शिकायत के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं या 022 – 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, तीसरी मंजिल, नमन चैंबर, प्लॉट सी–32, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र – 400051 को नामित ईमेल पते: evoting@nsdl.com या टेलीफोन नंबर 022–48867000 पर अनुरोध भेज सकते हैं। सदस्य कंपनी के कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी को भी 9311114183 पर लिख सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना को ध्यान से पढ़ें और विशेष रूप से रिमोट ई–वोटिंग/ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यान से पढ़ें।

बीजे ड्यूप्लेक्स बोर्ड्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
पूजा
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 06.09.2025

VIKAS LIFECARE LIMITED

CIN - L25111DL1995PLC073719
REGD OFF: G-1, VIKAS HOUSE, 34/1, EAST PUNJABI BAGH, NEW DELHI -110026
PH NO: 011-40450110, EMAIL - info@vikaslifecarelimited.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING & BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the **30th Annual General Meeting** ("AGM") of the members of **Vikas Lifecare Limited** will be held on **September 29, 2025 at 12:30 P.M.** through Video Conferencing/ Other Audio-Visual Means (VC/OAVM) facility, In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act'), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ('SEBI Listing Regulations') read with General Circular Nos.14/2020, 17/2020, 20/2020 and subsequent circulars issued in this regard, latest being the General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and other relevant circulars issued by Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (collectively referred to as 'MCA Circulars' and 'SEBI Circulars') companies are allowed to hold AGM through VC/ OAVM, without the physical presence of shareholders at a common venue. Accordingly to transact the businesses as set out in the Notice of 30th AGM of the Company.

Pursuant to the said Circulars, the Company has sent the Notice of 30th AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2024-25 on September 06, 2025 through electronic mode to all the members whose email IDs are registered with the Company/ depository participant(s). These documents are also available on the Company's website at www.vikaslifecarelimited.com.

Also, in compliance with Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members will remain closed from September 23, 2025 to September 29, 2025 (both days inclusive). Pursuant to provisions of section 108 of the Act read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and SEBI circular dated 9 December, 2020, members holding shares in physical or dematerialized form, as on the cut-off date, i.e., September 22, 2025, may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of 30th AGM through e-voting platform. The detailed procedure/instructions for e-voting are contained in the Notice of 30th AGM of the Company.

In this regard, the members are hereby further notified that:

1. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means in the AGM is September 22, 2025.
2. The remote E-voting period will commence from September 26, 2025 at 9:00 A.M. (IST) and will end on September 28, 2025 at 5:00 P.M. (IST). Remote E-voting shall not be allowed beyond the aforesaid period.
3. The persons who have acquired shares and have become member of the Company after the dispatch of notice may obtain the login ID and password from Bigshare Services Private Limited by send an e-mail to ivote@bigshareonline.com.
4. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote E-voting as well as voting in the AGM.
5. Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM facility, but shall not be allowed to cast their votes again at the AGM.
6. The manner of registration of email addresses of those members whose email addresses are not registered with the Company/RTA/DP is available in the AGM Notice.
7. The details of Scrutinizer and procedure for Speaker Registration are provided in the AGM Notice.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') available at https://ivote.bigshareonline.com, under download section or you can email us to ivote@bigshareonline.com.

Vikas Lifecare Limited
Sundeep Kumar Dhawan
Managing Director (DIN: 09508137)

Date: September 6, 2025
Place: New Delhi

---

pnb Housing Finance Limited

Ghar Ki Baat

परिशिष्ट-IV-ए, अचल संपत्ति / यों की ई-नीलामी-सार्वजनिक बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी-बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली- 110001, फोन :- 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

शाखा कार्यालय : भूतल, डी–2, सेक्टर–3, नोएडा (उत्तर प्रदेश) – 201301

एतद्वारा आम जनता को और विशेष रूप में उन उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं), जिन्हें कॉलम संख्या–ए में इंगित किया गया है, को सूचित किया जाता है कि कॉलम संख्या–डी में विवरणित नीचे वर्णित अचल संपत्ति(यां), जो प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत/प्रभारित हैं, जिनका रचनागत/भौतिक अधिग्रहण मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा ले लिया गया है (जैसा कि कॉलम नंबर–सी में वर्णित है), अब उन्हें, नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार, **"जैसी हैं जहां हैं, जैसी हैं जो हैं और वहां जो कुछ भी हैं आधार"** पर बेचा जाएगा।

एतद्वारा उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ता(ओं)/संबंधित उधारकर्ताओं/बंधककर्ता(ओं) (मृतक होने के बाद से) के विधिक उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधि (चाहे ज्ञात या अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तरजीवी(वियों), समनुदेशिती(तियों), कॉलम संख्या–ए में निर्दिष्टानुसार जैसा भी मामला हो, को तिथि के अनुसार संशोधित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम–8(6) व 9 के अंतर्गत सूचित किया जाता है कि बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड / प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् **www.pnbhousing.com** में दिये गये लिंक को देखें।

ऋण सं. / उधारकर्ता /सह–उधारकर्ता / गारंटर / विधिक उत्तराधिकारियों के नाम (ए)	मांगी गई राशि और तिथि (बी)	अधिग्रहण की प्रकृति (सी)	बंधककृत संपत्तियों का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	धराज (आरपी की 10%) (एफ)	बोली जमा करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धिशील दर (एच)	निरीक्षण तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात भारग्रस्तताएं / न्यायालयी प्रकरण, यदि कोई (के)
एनएचएल/एनओआई/1221/941893, शिखा गर्ग/अंकित गर्ग, अंश मल्टीकॉम, बी.ओ.: नोएडा	रु. 53,680,803.42 और 06.05.2024	भौतिक	एफएफ 1 और एफएफ 2, एफएफ, प्रथम तल, ग्रेनो कॉम्प्लेक्स – कमर्शियल, लॉट नं. सीएस 29 सेक्टर 36, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत– 201310	रु. 2,75,83,000	रु. 27,58,300	22.09.2025	रु. 2,00,000	11.09.2025 को प्रातः 10:00 से सायं 5.30 बजे	23.09.2025 को अप. 10:00 से 3:00 बजे	केस का शीर्षक : शिखा गर्ग बनाम पीएनबीएचएफएल, कोर्ट : डीआरटी लखनऊ, केस नं: Sa/527/2024, अगली तिथि : 12–09–2025

*आगे के ब्याज 18% प्रति वर्ष की दर पर, जैसा लागू हो, भुगतान और/या वसूली की तिथि तक किए गए आकस्मिक व्ययों, लागत, प्रभार इत्यादि के साथ। **पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार, यहां, कॉलम संख्या – के में प्रकटीकृत विषय–सामग्री के अतिरिक्त उपर्युक्त अचल/प्रतिभूत परिसंपत्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावा नहीं है। इसके अतिरिक्त, इस तरह के ऋणभारों का सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा अपनी ओर से पूरा/भुगतान किया जाना है। संभावित क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे स्वतंत्र रूप से, उल्लिखित ऋणभारों की सत्यता का पता लगा लें। (1) तिथि के अनुसार, यहां पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/प्रतिभूत परिसंपत्तियों की बिक्री, अलगाव और/या निस्तारण करने से रोकने का और/या उन पर न्यायालयी प्रतिबंध लगाने का कोई आदेश नहीं है तथा इस संदर्भ में वस्तुस्थिति का उपरोक्त स्तंभ सं. – 'के' में वर्णन किया गया है। (2) संभावित क्रेता/बोलीदाता और इच्छुक पक्षकार, निविदा/बोली आवेदन प्रपत्र जमा करने या प्रस्ताव(वों) को देने से पहले, पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध स्वामित्व विलेखों के स्वामित्व सहित, लेकिन उन तक सीमित नहीं है, कॉलम सं. – 'के' में वर्णित, की कार्यवाहियों/पारित आदेशों इत्यादि, यदि कोई, में उद्धृत अभिवचन का स्वतंत्र रूप से निरीक्षण कर सकते हैं और खुद को हर तरह से संतुष्ट कर सकते हैं। बोलीकर्ता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। (3) कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(3) के निबंधनों के अनुसार, बोलीदाता(गण)/क्रेता, उसी दिन या अधिकतम अगले कार्य दिवस तक बिक्री मूल्य की राशि का 25% (धरोहर राशि सहित) जमा करने के लिए विधिक रूप में बाध्य हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(2) के अनुसार प्रतिभूत लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य की 25% राशि प्राप्त करने के बाद ही (बोलीदाता/ओं) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राशि का शेष 75%ए बिक्री पुष्टिकरण पत्र की पावती की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा किया जाना है और इस तरह की राशि को जमा करने में चूक होने पर, प्राधिकृत अधिकारी विक्रय पुष्टिकरण पत्र में अंकित 15 दिवसों की अनिवार्य अवधि के समापन की तिथि से 15 दिवसों के अंदर विक्रय आय राशि के आंशिक भुगतान को जब्त कर लेंगे तथा संपत्ति/प्रतिभूत परिसंपत्ति का सरफॉएसि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पुनर्विक्रय कर दिया जायेगा। (4) मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका निगमित कार्यालय भूखंड सं. 68, तृतीय तल, सेक्टर 44 गुड़गांव, हरियाणा 122003 में स्थित है, वह प्राधिकृत अधिकारी की, अपनी वेबसाइट **www.bankeauctions.com** पर ई–नीलामी के माध्यम से, विक्रय का संचालन करने में सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली प्रलेख प्राप्त करने से संबंधित किसी भी सहायता के लिए और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण के लिये, आपको श्री मुनेंद्र कुमार, जो कि पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत व्यक्ति हैं, के साथ, टोल फ्री नं.– 1800 120 8800 एवं ई–मेल : **auction@pnbhousing.com** पर, समन्वयन कर संपर्क करना होगा अथवा **www.pnbhousing.com** का संदर्भ ग्रहण करना होगा।

स्थान : नोएडा, दिनाँक : 05–09–2025

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

केनरा बैंक Canara Bank

भारत सरकार का उपक्रम
A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

माँग सूचना

क्षेत्रीय कार्यालय : केनरा बैंक, सिविल लाइन्स, एटा उ0प्र0–207001

सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनैन्शियल एसैट्स एण्ड इन्फोर्समैन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरैस्ट एक्ट, 2002 की धारा–13(2) के अन्तर्गत नोटिस

निम्नलिखित सम्बन्धित ऋणियों द्वारा केनरा बैंक **क्षेत्रीय कार्यालयः एटा** के तहत आने वाली शाखा के पक्ष में उनके अथवा उनके जमानतदारों द्वारा निष्पादित प्रतिभूतियों अनुसूचित सम्पत्ति जो बैंक के पक्ष में हित सुरक्षित बनाने के आधार पर ऋण सुविधाएँ प्रदान की गई थी। आपके द्वारा बैंक के पक्ष में शीर्षक विलेख (टाइटिल डीड) के माध्यम से सुरक्षा हित बनाने हेतु बंधक रखी गयी सम्पत्ति जिसका विवरण निम्नलिखित है। जैसा कि ऋणकर्ता एवं उनके जमानतदारों द्वारा देयताऐं/बकाया धन राशि अदा न करने के कारण उनके खाते को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एन.पी.ए. श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। बैंक ने बकाया राशि के भुगतान हेतु पंजीकृत डाक द्वारा माँग नोटिस भेजे गये थे जो कि बिना डिलीवरी वापस आ गये हैं। अतः बैंक यह सूचना आपका अखबार के प्रकाशन के माध्यम से दी जा रही हैं।

ऋणी(यों)/गारंटर(रों) का नाम एवं पता	सम्पत्ति(यों) का विवरण	एन.पी.ए. दिनांक	मांग नोटिस दिनांक	माँग नोटिस के अनुसार बकाया धनराशि
शाखा– गंजडुण्डवारा				
1–श्री मुनेन्द्र कुमार सी/ओ0 लक्ष्मी नारायण पता– 482, मोहल्ला अशोक नगर कासगंज उ0 प्र0– 207123 एवं गारंटर 2–मोनिका सी/ओ0 श्री मुनेन्द्र कुमार 482, मोहल्ला अशोक नगर कासगंज उ0 प्र0 – 207123	27–भूमि एवं भवन, आवासीय संपत्ति स्थित गाटा नं0 283/2, मकान नं0 144, सुन्दर नगर तरौरा (नगर पालिका एवं रेलवे लाइन के अन्दर) वार्ड नं0 10, परगना बिलराम तहसील व जिला कासगंज। एरिया– 15.34 वर्ग मी०, सम्पत्ति श्री मुनेन्द्र कुमार पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण के नाम। **चौहद्दी**–पूरब– कासगंज–बरेली रोड, पश्चिम– विकेता का प्लॉट, उत्तर–रास्ता 18 फीट, दक्षिण–मुन्नी लाल की सम्पत्ति।	29.08.2025	01.09.2025	रू0 7,09,506.67/– दि. 31.08.2025 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे
शाखा– नगरिया				
1. मै० शिफा इलैक्ट्रोनिक्स एंड स्पेयर्स पार्टस प्रो0 शहिद वर्सी पता– मकान नं0 169/2, कटरा, मैनपुरी उ0प्र0– 205001 2– शहिद वर्सी पुत्र शहबुद्दीन एवं 3– आसिफ वर्सी पुत्र शहबुद्दीन एवं 4– वारिस वर्सी सभी पता – मकान नं0 169/2, कटरा, मैनपुरी उ0प्र0– 205001	27–भूमि एवं भवन, व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान स्थित मौहल्ला कटरा तहसील एवं जिला मैनपुरी उ0प्र0– 205001, एरिया– 25.45 वर्ग मी०, सम्पत्ति आसिफ वर्सी एवं वारिस वर्सी पुत्र स्व0 श्री शहबुद्दीन वर्सी के नाम। **चौहद्दी**–पूरब– दुकान शिव सरन उपाध्याय, पश्चिम– सचित की दुकान, उत्तर– तरूण सक्सेना का मकान, दक्षिण– रास्ता 12′ चौडा।	29.08.2025	01.09.2025	रू0 10,25,459.87 दि. 31.08.2025 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे

यदि आप, उपरोक्त वर्णित ऋणी/जमानतकर्ता/बंधककर्ता अपनी देनदारियों को भविष्य में देय संविदात्मक ब्याज एवं प्रासंगिक खर्चों, लागत, प्रभार इत्यादि सहित पूर्ण रूप से बैंक को, धारा 13(2) के अन्तर्गत इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिन के भीतर भुगतान करने में असफल रहते है, तो बैंक उक्त एक्ट की धारा 13 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निहित समस्त या किसी भी एक अधिकार जिसका विवरण उक्त धारा में दिया गया है, का या उक्त एक्ट में दिये गये अन्य लागू प्रावधानों का प्रयोग करेगा। यह नोटिस, बैंक अपने अन्य समस्त अधिकार सुरक्षित रखते हुए, जिसके अनुसार बैंक यदि आवश्यक समझता है, तो विधि के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के अन्तर्गत कोई भी अन्य कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही कर सकता है, प्रेषित कर रहा है।

दिनांकः 07.09.2025
प्राधिकृत अधिकारी

मैक्सपोज़र लिमिटेड

Maxposure — Content to ROI

CIN: L22229DL2006PLC152087
पंजीकृत कार्यालय: ग्राउंड फ्लोर, 62, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-उनई दिल्ली - 110020
फ़ोन: +91 (11) 43011111. ई-मेल: cs@maxposuremedia.com, वेब: www.maxposuremedia.com

नोटिस

इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि मैक्सपोज़र लिमिटेड ("द कंपनी") के सदस्यों की 19वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को शाम 4:30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("वीसी/ओएवीएम") की मदद से आयोजित की जाएगी, ताकि एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का संचालन किया जा सके।

कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियम") के लागू प्रावधानों के अनुपालन में एमसीए सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 को अन्य प्रासंगिक परिपत्रों के साथ पढ़ा जाएगा, जिसमे सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 और सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024, शामिल हैं। ये परिपत्र कंपनी को अनुमति देते हैं कि वह सदस्यों की एक ही स्थान पर उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित कर सकती है। अतः कंपनी के सभी सदस्यों को सूचना दी जाती है कि कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सभी सदस्य कृपया ध्यान दें कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एजीएम की सूचना वाली वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड (ई-मेल) के माध्यम से उन सभी शेयरधारकों को भेजी गई है, जिनके ई-मेल पते कंपनी के आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं।

इसके अतिरिक्त, सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 36(1)(बी) के अनुपालन में, वेब-लिंक वाला एक पत्र, जहां वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट का संपूर्ण विवरण प्राप्त किया जा सकता है, उन शेयरधारकों को भी भेजा गया है, जिन्होंने कंपनी/डिपॉजिटरी/आरटीए के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, किन्तु उनका नाम शुक्रवार, 29 अगस्त, 2025, यानी कट-ऑफ तारीख को रजिस्टर में दिख रहा है।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 91 और सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 42 के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि वार्षिक आम बैठक के मद्देनज़र कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर/कंपनी की शेयर हस्तांतरण पुस्तकें **बुधवार, 24 सितंबर, 2025 से सोमवार, 29 सितंबर, 2025 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमों-2014 के नियम 20 और सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने अपने सभी सदस्यों को बिगशेयर/ई-वोटिंग एजेंसी की सेवाओं के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में उल्लिखित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की है। **ई-वोटिंग हेतु कट-ऑफ तिथि मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 है।**

जिन सदस्यों ने अभी तक अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे विनम्र अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) से संपर्क करके ई-मेल पता पंजीकृत अवश्य कराएँ।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि (ए) 19वीं एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा ही किया जाएगा। (बी) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट (केवल ईमेल द्वारा) का डिस्पैच कार्य 5 सितंबर, 2025 को पूरा हो गया है। (सी) रिमोट ई-वोटिंग अवधि शुक्रवार, 26 सितंबर, 2025 को सुबह 9:00 बजे से शुरू होगी और रविवार, 28 सितंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। (डी) रविवार, 28 सितंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। (ई) 19वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.maxposuremedia.com और बिगशेयर की वेबसाइट https://ivote.bigshareonline.com/ पर उपलब्ध है। तथा (एफ) ई-वोटिंग की प्रक्रिया एवं उसका तरीका जानने हेतु और एजीएम में (वीसी/ओएवीएम के माध्यम से) शामिल होने के लिए, सदस्य एजीएम की सूचना के नोट 22 में दिए गए निर्देशों को देख सकते हैं। डाउनलोड सेक्शन के तहत 'शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग के निर्देश' अथवा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ('एफएक्यू') और आई-वोट ई-वोटिंग मॉड्यूल https://ivote.bigshareonline.com पर देखे जा सकते हैं।

यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त सूचना/वार्षिक रिपोर्ट भेजने के बाद सदस्य बनता है और मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 (ई-वोटिंग हेतु कट-ऑफ तिथि को शेयर-धारक है) उस स्थिति में वह ई-वोटिंग के लिए एजीएम की सूचना में उल्लिखित उपरोक्त निर्देशों का पालन कर सकता है। साथ ही, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकता है। एजीएम में भाग लेने वाले उन सदस्यों के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग उपलब्ध कराई जाएगी, जिन्होंने अभी तक रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। श्री अमित शुक्ला, कार्यरत कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या ACS: 48811) को आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के लिए संवीक्षक (Scrutinizer) नियुक्त किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें श्री राजेश कुमावत, सहायक महाप्रबंधक, बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कार्यालय संख्या एस6-2, छठी मंजिल, पिनेकल बिजनेस पार्क, अहुरा सेंटर के बगल में, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400093 से की जा सकती हैं अथवा आप rajeshk@bigshareonline.com पर ईमेल भेज सकते हैं या +917506071172 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

मैक्सपोज़र लिमिटेड की ओर से
Sd/-
प्रिया केसरी
कंपनी सचिव
एसीएस 22710

दिनांक: 07.09.2025
स्थान: नई दिल्ली

REGENCY HEALTH

BHAROSA KA SPECIALIST

रीजेंसी हॉस्पिटल लिमिटेड

सीआईएन: U85110UP1987PLC008792
पंजीकृत कार्यालय: ए-2, सर्वोदय नगर, कानपुर-208005 उत्तर प्रदेश
फ़ोन: 0512-350-2480, ईमेल: company.secretary@regencyhealthcare.in,
वेबसाइट: www.regencyhealthcare.in

36वीं वार्षिक आम बैठक सूचना एवं ई-वोटिंग सूचना

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि रीजेंसी हॉस्पिटल लिमिटेड ("कंपनी") के शेयरधारकों की **36वीं वार्षिक आम बैठक** ("एजीएम") **सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को सुबह 11.00 बजे IST** कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, ए-2 सर्वोदय नगर, कानपुर-208005 उत्तर प्रदेश, भारत में आयोजित की जाएगी। कंपनी ने शेयरधारकों को शनिवार, 6 सितम्बर 2025 तक अनुमत मोड के माध्यम से एजीएम की सूचना भेज दी है। एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट **www.regencyhealthcare.in** और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध है।

समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुपालन में, शेयरधारकों को एजीएम ('रिमोट ई-वोटिंग') के आयोजन स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की गई है और कारोबार ऐसी वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है। शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार सोमवार, 22 सितंबर, 2025 ('कट-ऑफ तिथि') को कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे।

रिमोट ई-वोटिंग गुरुवार, 25 सितंबर, 2025 (सुबह 9:00 बजे IST) से शुरू होगी और रविवार, 28 सितंबर, 2025 (शाम 5:00 बजे IST) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल 28 सितंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे IST के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

कोई व्यक्ति जिसने एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद शेयर हासिल किये हैं और कंपनी का शेयरधारक बन गया है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखता है, वह **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।

शेयरधारक ध्यान दें कि: ए) एक बार शेयरधारक द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी; बी) एजीएम के दौरान वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी; सी) जिन शेयरधारक ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे; और डी) केवल वे व्यक्ति जिनका नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, वे रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम के नोटिस के साथ-साथ एनएसडीएल द्वारा शेयरधारकों को भेजे गए ईमेल में भी उपलब्ध है। किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, आप एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट **www.evoting.com** के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए 'ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल' का संदर्भ ले सकते हैं या **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध भेज सकते है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए, शेयरधारक श्री योगी श्रीवास्तव, कंपनी सचिव, बी-5 सर्वोदय नगर कानपुर-208005 से, **company.secretary@regencyhealthcare.in**, दूरभाष # 0512-350-2661 पर संपर्क कर सकते हैं।

रीजेंसी हॉस्पिटल लिमिटेड के लिए
हस्ता /-
योगी श्रीवास्तव
कंपनी सचिव

दिनांक: 6 सितंबर, 2025
स्थान: कानपुर

स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड

सीआईएनः L74899DL1987PLC027057
पंजीकृत कार्यालयः जी–17 कृष्णा अपरा बिजनेस स्क्वायर एनएसपी पीतमपुरा नई दिल्ली 110034
ई–मेलः info@stancap.co.in
वेबसाइटः www.stancap.co.in, फोनः 011– 47461199

38वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और ई–वोटिंग की जानकारी

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 38वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को दोपहर 12:30 बजे आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के सामान्य परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 और 13 जनवरी, 2021 और सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 और 15 जनवरी, 2021 और सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022 (सामूहिक रूप से 'प्रासंगिक परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के साथ पढ़ें, एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय को पूरा करने के लिए।

प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2024–25 के साथ वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना 06 सितंबर, 2025 को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेज दी गई है जिनका ई–मेल पता कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत है और जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.stancap.co.in और हाइपरलिंक https://www.stancap.co.in/report-and-disclosures/notice/annual-general-meeting/notice-of-agm-for-financial-year/2024-2025.pdf. पर और स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे। एजीएम की सूचना सीडीएसएल की ई–वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20, और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार, कंपनी एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय के लेन–देन के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है, जो 27 सितंबर, 2025 को सुबह 09.00 बजे शुरू होगी और 29 सितंबर, 2025 को शाम 05.00 बजे समाप्त होगी और उसके बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति, जो नोटिस भेजने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है और कट–ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2025 तक शेयर धारण करता है, वह एजीएम को नोटिस में दिए गए लॉगिन आईडी और पासवर्ड के बारे में निर्देश का उल्लेख कर सकता है और इस संबंध में किसी भी सहायता के लिए कंपनी या कंपनी के आरटीए से info@skylinerta.com पर संपर्क कर सकता है।

एजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में वोट कर सकेंगे। रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी कोई सदस्य आम बैठक में भाग ले सकता है लेकिन उसे बैठक में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। केवल वही व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2025 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, वह आम बैठक में मतदान के साथ–साथ रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। सदस्यों द्वारा एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग या ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका एजीएम की सूचना में विस्तार से प्रदान किया गया है।

यदि आपको सीडीएसएल ई–वोटिंग प्रणाली से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और ई–वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं या 022–23058738 और 022–23058542/43 पर संपर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई – 400013 को भेजी जा सकती हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं या 1800 22 55 33 पर कॉल कर सकते हैं।

स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
राम गोपाल जिंदल
प्रबंध निदेशक

दिनांक: 06.09.2025
स्थान: नई दिल्ली